

10/5/18. वकील शर्मा डिप 0

वकील शर्मा के शर्मा पत्र पुनः
सुनवाई में लेने के शर्मा पत्र पर
बहस लुनी। शर्मा पत्र स्वीकार
दिया जाता है आदेश दि 22-3-18
को निरस्त कर प्रजावली पुनः
सुनवाई में लेने के आदेश दिया
जाता है। प्रजावली के लाल सुभार
लेकर सम्बर ले कम ही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली